

थाना कोतवाली देहात

स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का अनावरण कर, 02 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त मृतक की मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया ।

दिनांक 31.03.2021 को अमित (उम्र करीब 25 वर्ष) पुत्र चन्द्रपाल कश्यप निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का शव थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पंप से गौसपुर रोड पर साईफन नहर में मिला था । मृतक के पिता श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री सुक्खे सिंह द्वारा शव की शिनाख्त अपने पुत्र के रूप में की गयी तथा अपने पुत्र की हत्या महताब व उसकी पत्नी अफसाना निवासीगण मौ0 रजा कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा किये जाने के संबंध में दिनांक 06.04.2021 को थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 77/21 धारा 302 भादवि बनाम महताब व अफसाना उपरोक्त पंजीकृत कराया ।

मेरे द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु स्वाट/सर्विलांस सहित थाना कोतवाली देहात पुलिस को निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दिनांक 07.04.2021 को समय प्रातः 07.45 बजे कोतवाली के नजीबाबाद तिराहे से अभियुक्तगण 1- महताब 2- अफसाना को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशांदाही पर मृतक अमित की प्लेटिना मोटरसाईकिल UP20 BU 3543 को गन्ने के खेत से बरामद किया गया ।

अभियुक्त महताब से पूछताछ की गयी तो प्रकाश में आया कि अभियुक्ता अफसाना उपरोक्त का पहला निकाह गफफार पुत्र खलील निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के साथ हुआ था । करीब 18 माह पहले गफफार उपरोक्त की मृत्यु बीमारी के चलते हो गयी थी । उसकी मृत्यु के पश्चात मैंने 01 वर्ष पूर्व अफसाना से निकाह कर लिया था परन्तु अफसाना ज्यादातर अपने पूर्व मृतक पति गफफार के घर ग्राम हरेवली थाना शेरकोट रहती थी । करीब 09 माह पूर्व से पड़ोस में रहने वाला युवक अमित कश्यप की नजदीकियां मेरी पत्नी अफसाना के साथ हो गयी । जब दोनो के सम्बन्धों की जानकारी मुझे हुयी तो मैंने अपनी पत्नी अफसाना को तलाक देने का दबाव बनाया तो अफसाना ने कहा कि जैसा आप चाहते हैं, वैसा करुंगी । हम दोनो की योजना के अनुसार दिनांक 28.03.2021 को होली के दिन अफसाना ने अपने फोन से अमित को हमारे घर कोतवाली देहात बुलवाया तथा अमित अपनी मोटरसाईकिल प्लेटिना से हमारे घर आया था । हमने अमित को शराब पिलाई व उसको नशे की हालत में उसी की प्लेटिना मोटरसाईकिल पर बैठाकर ग्राम हीरापुर जंगल में नहर के पास ले गये तथा हमने साथ मिलकर अमित के साथ मारपीट की, जब उसने मारपीट का विरोध किया तो उसके बेहोश होने पर हम दोनो ने उसे साईफन नहर में डाल दिया और उसकी मोटरसाईकिल को पास ही के गन्ने के खेत में छिपा दिया था ।

मृतक का नाम

अमित (उम्र करीब 25) पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1- महताब पुत्र गफफार निवासी मौ0 रजा कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- अफसाना पत्नी महताब निवासी मौ0 रजा कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

मृतक अमित की प्लेटिना मोटरसाईकिल UP20 BU 3543

गिरफ्तार करने वाली टीम

स्वाट टीम:-

प्रभारी श्री राजकुमार शर्मा, उ0नि0 मनोज परमार, उ0नि0 संजय कुमार, का0 खालिद, का0 अरुण कुमार, का0 रईस अहमद, का0 मोहित शर्मा, का0 दीपक तोमर, का0 रणजीत मलिक, का0 विकास बैसला, का0 सुनित , का0 मोनू ।

थाना कोतवाली देहात टीम:-

प्र0नि0 लव सिरोही, उ0नि0 मियाजान खाँ , उ0नि0 संजीव कुमार , कां0 508 नवीन कुमार , कां0 1735 रवि कुमार, म0कां0 708 निर्मला ।

पुलिस टीम के सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कार राशि:- 10,000/-



थाना मण्डावर:— आज दिनांक 07.04.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम किशनवास थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 78/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शहजाद उपरोक्त थाना मण्डावर का हिस्ट्रीशीटर भी है।



थाना मण्डावर:— आज दिनांक 07.04.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ टाइगर पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम रायपुर वेरी साल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 01 नाजायज तमंचा व 01 नाजायज जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 77/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। योगेन्द्र उपरोक्त थाना मण्डावर का हिस्ट्रीशीटर भी है।



थाना नांगल:— आज दिनांक 07.04.2021 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त जसराम पुत्र कलीराम निवासी ग्राम चन्दौक थाना नांगल जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:— आज दिनांक 07.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण 1- राजेन्द्र पुत्र कल्लू 2- सोमपाल पुत्र गुल्ली 3- भूपेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह 4- विजेन्द्र पुत्र गुल्ली 5- गुलाब सिंह पुत्र गुल्ली सिंह निवासीगण मौ0 संतोषी मंदिर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:— आज दिनांक 07.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण 1- जयकुमार पुत्र पूरन सिंह चौहान निवासी ग्राम बगवाडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2- राजेश कुमार पुत्र छत्र सिंह उर्फ छत्तर निवासी ग्राम मकनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 105/11 धारा 3 वन गैंगस्टर एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना रेहडः— आज दिनांक 07.04.2021 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त खेम सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम उदयपुर चांदपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



दिनांक 07.04.2021



आज दिनांक 07.04.2021 को जिला प्रभारी एण्टी रोमियों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजार/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा व उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।

